

कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, मुरादाबाद।  
(एल-25, रामगंगा विहार, फेस-प्रथम, सोनकपुर स्टेडियम, कॉट रोड, मुरादाबाद-दूरभाष सं०-0581-2450066)

पत्रांक / 14-1 दिनांक, मुरादाबाद, दिनांक 20, 2014.

सेवा में,

वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक,  
मुरादाबाद क्षेत्र, मुरादाबाद।

विषय:- जनपद मुरादाबाद में रिलाइन्स जियो इन्फोकॉम लि० द्वारा मुरादाबाद-कॉट मार्ग पर ओ०एफ०सी० बिछाने हेतु अनुमति के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक कम में अवगत कराना है कि जनपद मुरादाबाद के रिलाइन्स जियो इन्फोकॉम लि० द्वारा (मुरादाबाद-कॉट) मार्ग के कि०मी० 9 से 31 तक की बाँयी/दाँयी पट्टी में ओ०एफ०सी० केबल डालने हेतु क्षेत्रफल 0.996 है० संरक्षित वन भूमि पर गैर वानिकी कार्य प्रस्तावित है, जिसके कारण वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत वन भूमि हस्तांतरण का प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया जाना है।

अतः वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्राविधानों के अनुसार निर्धारित प्रपत्रों में विषयक प्रस्ताव एम्०ओ०ई०एफ० वेबसाईट पर डी०एफ०ओ०, मुरादाबाद के स्तर से अपलोड कर दिया गया है तथा प्रस्ताव 4 प्रतिियों में संलग्न कर संस्तुति सहित प्रेषित किया जा रहा है। कृपया अपने स्तर से अग्रिम कार्यवाही कर प्रस्ताव उच्च स्तर को प्रेषित करना चाहें।

संलग्नक-प्रस्ताव की 4 प्रतिियों मूल में।

भवदीय,

(डा०बी०सी० ब्रह्मा)  
प्रभागीय निदेशक,  
सामाजिक वानिकी प्रभाग,  
मुरादाबाद।

पत्रांक 1537 / दिनांकित।

प्रतिलिपि श्री प्रभात सिंह, डी०जी०एम०, रिलाइन्स जियो इन्फोकॉम लि०, गुड़गाँव (हरियाना) द्वारा-आर०जे०आई०एल०, 77 बी, तृतीय तल, आई०एफ०एफ०सी०ओ० रोड, सैक्टर-18, गुड़गाँव रोड, हरियाना-122015 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

Bonita C. Naha  
(डा०बी०सी० ब्रह्मा)  
प्रभागीय निदेशक,  
सामाजिक वानिकी प्रभाग,  
मुरादाबाद।

**SITE INSPECTION REPORT NOT BELOW THE RANK OF DCF**

(For the forest land to be diverted under FCA)

A proposal has been received by the this office from एसएचओ सं-49 (मुरादाबाद-कॉठ-हरिद्वार मार्ग) के कि०मी० 9.00 से 31.00 तक कुल लम्बाई 22.00 कि०मी० में बॉयी पट्टी पर ओ०एफ०सी० विधाने हेतु diversion (under FCA-1980) of 0.996 hac. of forest land for non-forestry purpose. The project envisage the use of forest land for laying. The site inspection of the land involved in the proposal has been done by me on dated.....8/12/14.....

On inspection of the site, it is found that the land required buy the user agency is a RF/PF/unclassed/Protect forest measuring. **PF 0.996 hac.**

The requirement of forest land as proposed by the user agency in col.2 of part-I is unavoidable and is barest minimum required for the project. **Yes**

Whether any rare/endangered/unique species of flora and fauna in the area. If so, the details thereof. **No**


Whether any protected archaeological/heritage site/ defense establishment or any other important monument is located in the area. If so, the details thereof with NOC from competent authority, if required. **No**


- ✓ 1- The user agency has not violated the provision of forest (conservation) Act, 1980 and no work has been started without proper sanction. ;
- X 2- it has been found that the user agency has violated the forest (conservation) Act, 1980 provisions. A detail report as per para 1.9 of chepter-1; para C of handbook of forest (Conservation) Act. 1980 is attached.

Specific recommendation for acceptance or otherwise of the proposal.

*Recommended for acceptance,*

  
उप प्रभागीय वनाधिकारी,  
सामाजिक वानिकी प्रभाग,  
मुरादाबाद।

  
वन क्षेत्राधिकारी,  
मुरादाबाद।  
**वन क्षेत्राधिकारी**  
**मुरादाबाद रेंज**

  
(डा०बी०सी०ब्रह्मा)  
प्रभागीय निदेशक,  
सामाजिक वानिकी प्रभाग,  
मुरादाबाद।